Email I.D. - eecdupjnagra@gmail.com फोन नं0 0562–2857092

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,
उत्तर प्रदेश जल निगम, (ग्रामीण), 4/4 संजय प्लेस, आगरा–282002

पत्रांक :– 531 / समाचार कटिंग / विज्ञापन / 08 दिनांक :– 26 / 05 / 2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ0प्र0 जल निगम,
6 राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

विषयः– <u>दिनांक 25.05.2026 को समाचार पत्र अमर उजाला के ई–पेपर में प्रकाशित ''भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से जूझ रहे ग्रामीण, भीषण गर्मी में ठेकेदार की लापरवाही सामने आई, दो की जगह एक ही ट्यूबवेल का कराया बोरिंग'' के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 25 मई 2026 को अमर उजाला ई–समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार "भीषण गर्मी में ग्रामीणों को पानी की किल्लत, ठेकेदार की लापरवाही आई सामने, दो के स्थान पर केवल एक ट्यूबवेल की बोरिंग" के संबंध में अवगत कराना है कि यह योजना मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत वर्ष 2009–10 में स्वीकृत हुई थी। योजना का निर्माण एवं संचालन वर्ष 2024–25 में पूर्ण किया गया। प्रस्तावित कार्यों के अनुसार 275 केएल क्षमता एवं 12 मीटर ऊँचाई का ओवरहेड टैंक, 930 मीटर राइजिंग मेन, 6.44 कि.मी. वितरण पाइप लाइन तथा क्लोरीनेशन प्लांट एवं पंप हाउस सहित दो ट्यूबवेल प्रस्तावित थे, जिसमें 6.44 कि.मी. वितरण प्रणाली के सापेक्ष 12.5 कि.मी. पाइप लाइन बिछाई गयी एवं 1150 नग गृह जल संयोजन कराये गये। उपरोक्त समस्त कार्य पूर्ण कर जून 2024 में योजना को चालू कर दिया गया। प्रस्तावित दोनों ट्यूबवेल की क्षमता 300 एलपीएम निर्धारित थी, जिससे वर्ष 2035 तक 411 केएल प्रतिदिन जल उपलब्ध कराया जाना था। किन्तु निर्मित ट्यूबवेल से 400 एलपीएम डिस्चार्ज प्राप्त हुआ, जिससे 16 घंटे संचालन में प्रतिदिन 384 केएल जल उपलब्ध हो रहा है, जो वर्ष 2027 तक ग्राम की जल आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु पर्याप्त है। अतः द्वितीय ट्यूबवेल की आवश्यकता नहीं रही।

इसके अतिरिक्त जनपद आगरा के समस्त ग्रामीण क्षेत्र को वर्ष 2054 तक पेयजल उपलब्ध कराने हेतु लोअर गंगा नहर के माध्यम से जलापूर्ति की योजना प्रस्तावित है, जिसके कार्य प्रगति पर है तथा दिसंबर 2027 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

योजना के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु मैसर्स दारा इंजीनियरिंग एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया गया है। जलापूर्ति कम होने एवं अपर्याप्त कवरेज के संबंध में अवगत कराना है कि ग्राम के 50 से अधिक परिवार टुल्लू पंप (फोटोग्राफ संलग्न) का उपयोग कर निर्धारित मात्रा (55 एलपीसीडी) से अधिक जल का उपभोग कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप समस्त ग्राम को आवश्यक जलापूर्ति नहीं मिल पा रही है।

यदि सभी परिवार जल का दुरुपयोग एवं अत्यधिक उपभोग बंद करें, तो पूरे ग्राम को उनके हिस्से के अनुसार पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार। भवदीय

(अमित कुमार कटियार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, आगरा।
2. मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
3. मुख्य अभियन्ता (आ0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), आगरा।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), आगरा।
5. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), आगरा।
6. सम्पादक अमर उजाला जनपद—आगरा।

अधिशासी अभियन्ता